स्वतंत्र भारत में महिलाओं की सामाजिक–राजनीतिक स्थिति का विवेचन

*सोनम कुमारी गुप्ता

शोध सार

1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ढाँचे तथा सांस्कृतिक परिवेश पर पितृसत्तात्मक विचारधारा का प्रभुत्व रहा। स्त्री–पुरुष समानता के सवाल पर संविधान की स्थिति भी असंगत रही है। उदाहरण के लिए, अनुच्छेद 15 के द्वारा समानता के सिद्धांत को स्वीकारा गया, मगर साथ ही धर्म के आधार पर बने पारिवारिक कानूनों को मान्यता देकर स्त्री–पुरुष समानता के सिद्धांत का विरोध किया गया (ये कानून विवाह और परिवार तथा सम्पत्ति में स्त्रियों को पुरुषों से कम व भेदभावपूर्ण अधिकार देते हैं)। इसी प्रकार शोषण के विरुद्ध अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्ज़ा दिया, पर स्त्री और पुरुष को समान काम के लिए समान वेतन सम्बंधी कानून 1976 तक नहीं बनाए गए।

बीज शब्द – भेदभाव, समानता, राजनीति, सामाजिक

विश्लेषण

स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं ने अनेक स्तरों पर भागीदारी निभाई थी। 1947 में अंग्रेज़ी सरकार से देश मुक्त हुआ। सत्ता हस्तांतरण के साथ–साथ अनेक स्वतंत्रता–संग्रामी राजनीति की दुनिया से अलग हटने लगे। कई महिला समूह, जो कई दशक तक भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व करते आये थे, राजनीति का क्षेत्र छोड़कर समाज सुधार में अधिक समय देने लगे। अतः कुल मिलाकर 1947 के बाद दो दशकों तक महिला आंदोलन के लिए ठहराव का समय रहा।

भारत में स्वतंत्रता के पश्चात् कांग्रेस सत्ता में आ गई, जिसने महिलाओं से किए गए वादों को पूरा करने के अनेक प्रयास किए। इन कोशिशों के तहत् सबसे पहले संविधान में स्त्रियों को समान अधिकार दिए जाने की घोषणा की गई। इसके साथ ही महिलाओं को प्रगति के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उपाय सुझाने वाली अनेक प्रशासकीय इकाइयों का गठन किया गया। हालाँकि ये कोशिशें सरकारी पक्ष की नेकनीयती का नमूना भर थीं। आज़ादी के बाद भी कुछ वर्षों तक जब महिलाओं की स्थितियों में सकारात्मक बदलाव नहीं हुए तो नारीवादियों ने बड़े पैमाने पर विरोध करना शुरू कर दिया।

आज़ादी के बाद देश में महिलाओं की स्थिति को समझने के लिए कालक्रम के आधार पर इस अवधि को तीन भागों में बाँटा जा सकता हैः

इन तीन दशकों में भी महिलाओं ने कई उल्लेखनीय कदम उठाए। देश के विभाजन व साम्प्रदायिक दंगों के साथ, क़त्ल, लूटमार व बलात्कार के हादसों का दौर चला। कई महिलाओं ने इस काल में शरणार्थियों के लिए व्यवस्थाएँ जुटाईं व साम्प्रदायिक सद्भावना फैलाने के प्रयास किये। आज़ादी के आंदोलन से जुड़ी अनेक महिलाओं ने महिला शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सेवाएँ दीं। महिला मंडलों ने आर्थिक स्वावलम्बन के पक्ष पर ध्यान दिया। अनेक स्वैच्छिक

संस्थाओं का गठन हुआ और उनके द्वारा प्रौढ़ शिक्षा, साक्षरता, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास को लेकर कार्य आरम्भ किये गये। शिक्षित महिलाओं की सरकारी नौकरियों में भागीदारी बढ़ी।

तेलंगाना आंदोलन की रोशनी में महात्मा गांधी की सर्वोदय विचारधारा से प्रभावित राष्ट्रवादी नेता विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन शुरू किया। हालाँकि यह आंदोलन तेलंगाना में कोई ख़ास उपलब्धि हासिल नहीं कर सका परंतु बिहार में उसे किसी हद तक सफलता मिली। 1955 में समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण भी इस आंदोलन से जुड़ गए।

मीरा बहन तथा सरला बहन द्वारा स्थापित किए गए गांधी आश्रम उत्तराखंड में जंगलों की कटाई तथा बढ़ती शराबख़ोरी पर अंकुश लगने के प्रयासों के केन्द्रों के रूप में उभरे जिससे साठ के दशक के पूर्वार्द्ध में महिलाओं का शराब विरोधी आंदोलन अस्तित्व में आया। इस आंदोलन से शराब विरोधी जनमत की तैयारी में तो सफलता मिली परंतु क्षेत्र से शराब या शराबख़ोरी को पूरी तरह नहीं मिटाया जा सका।

देखते–देखते आज़ादी के बाद के दशकों में महिलाओं की स्थिति सुधरने के बजाय गिरने लगी थी। अहसास होने लगा कि सरकारें आम इन्सान के सपनों को साकार नहीं कर पा रही हैं। ग़रीब, दलित, मज़दूर महिलाओं की स्थिति में यदि कोई परिवर्तन हुआ तो केवल यह कि उनकी ग़रीबी व बेहाली और बढ़ गई। अन्ततः राजनीति में महिलाओं की संगठित शक्ति व सम्मिलित आवाज़ बहुत धीमी पड़ गई। गहराते संकट और बढ़ते असंतोष के परिणामस्वरूप महिला आंदोलन में एक बार फिर राजनीति से जुड़ने का उत्साह जगा जिसके परिणामस्वरूप चिपको आंदोलन और 1973 में बढ़ती महंगाई के ख़िलाफ़ आंदोलन में महिलाएँ भाामिल हुईं। मृणाल गोरे, अहल्या रांगणेकर ने मिलकर मंहगाई विरोधी 'संयुक्त महिला मोर्चा' गठित किया। देश में बढ़ती क़ीमतों के विरोध में आंदोलन फैलकर गुज़रात तक पहुँच गया जहां इसे सन् 1974 में नवनिर्माण आंदोलन के नाम से जाना गया। नवनिर्माण आंदोलन मूलतः मूल्यवृद्धि, भ्रष्टाचार एवं कालाबाज़ारी के ख़िलाफ़ चलाया जाने वाला छात्र आंदोलन था जिसमें आगे चलकर हज़ारों महिलाएँ शामिल हो गईं और वह एक विशाल आंदोलन बन गया। सन् 1974 के नवनिर्माण आंदोलन को कुचलने में पुलिस को तीन महीने लगे तथा 90 से 100 लोग मारे गए। नवनिर्माण आंदोलन के कार्यकर्ता जयप्रकाश नारायण की ''सम्पूर्ण क्रांति'' की विचारधारा के साथ लोक राजनीति में प्रविष्ट हुए और 'छात्र युवा संघर्षवाहिनी' का गठन किया। समर्पित कार्यकर्ता अपना घर–बार छोड़कर किसान–मज़दूरों के बीच काम करने लगे।

वर्श 1972 में महाराष्ट्र के आदिवासी क्षेत्र शाहदा में किसान अकाल तथा कर्ज से परेशान थे। महिलाएँ सरकार विरोधी, शराब विरोधी आंदोलन में उतरीं, उन्होंने शराब की भट्ठियों को तोड़ा, सूखा राहत के लिए सरकार को घेरा। इस आंदोलन में उनके द्वारा गाये गये क्रांतिकारी गीत आज भी संघर्षों में गाये जाते हैं।

1973 में गढ़वाल की महिलाओं द्वारा चिपको आंदोलन की शुरुआत की गयी जिसमें वे पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ से चिपककर उसके काटे जाने का विरोध करती थीं। इसी बीच अहमदाबाद में महिलाओं का ट्रेड यूनियन बनाने की पहली कोशिश की गई। 1972 में इला भट्ट ने 'सेल्फ–एम्प्लायड वीमेंस एसोसिएशन' (सेवा) की स्थापना की। सेवा एक ऐसा संगठन था जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली स्त्रियों के लिए बनाया गया था।

समकालीन नारीवादी आंदोलन का पहला महिला संगठन 'प्रोग्रेसिव ऑर्गनाइजेशन ऑफ वीमेन' (पी.ओ.डब्ल्यू.) के नाम से हैदराबाद में स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य लिंग आधारित शोषण के विरुद्ध संगठित संघर्ष करना था।

सन् 1975 में महाराष्ट्र में नारीवादी गतिविधियों में अचानक बाढ़–सी आ गई। इसी वर्ष को संयुक्त राष्ट्रसंघ ने अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया। भारत में पहली बार 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया गया।

देश में आंदोलन अपने उभार पर था ही कि 1975 की आपात्काल की घोषणा के रूप में वह काला अध्याय शुरू हुआ जिसने शैशवकालीन महिला आंदोलन के विकास को अवरुद्ध कर दिया क्योंकि अनेक राजनीतिक संगठन भूमिगत हो गए और हज़ारों सक्रिय कार्यकर्ताओं को गिरफ़्तार कर लिया गया।

वर्श 1976 में 'समान पारिश्रमिक अधिनियम' अस्तित्व में आया जिसमें यह प्रावधान किया गया कि महिला और पुरुष के बीच पारिश्रमिक का भेद नहीं होगा। 1975–77 के बीच आपातकाल में सभी नागरिक अधिकार छीन लिए गये तथा बड़े पैमाने पर झोपड़ियां–झुग्गियां उजाड़ी गयीं और महिलाओं को उनके घरों से बेदखल किया गया।

हालाँकि 1975 के वर्ष को संयुक्त राष्ट्रसंघ के निर्देश पर अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाया जा रहा था परन्तु उस पर आपात्काल का काला साया भी मंडरा रहा था क्योंकि इसके कारण हजारों कार्यकर्ता जेल में निरुद्ध थे। जो थोड़े बहुत आपात्काल का शिकार होने से बचे रह गए उन्होंने अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल नागरिक अधिकार समूहों की गतिविधियों में किया। सन् 1977 में आपात्काल की समाप्ति तथा 1978 में जनता पार्टी की स्थापना के साथ 1980 के दशक के प्रारंभिक एवं बीच के आंदोलन का नवीनीकरण हुआ तथा सारे देश में 1974–84 के बीच कई नारीवादी संगठन स्थापित किए गए। जिन्होंने विशेष रूप से औरतों पर हिंसा के मुद्दों पर काम करना शुरू किया।

इसी दौर में सरकारी स्तर पर भी कुछ नयी पहल भुरू की गयी। सरकार ने अब नया नारा दिया 'महिलाओं का सशक्तीकरण'। सरकारी कार्यक्रमों द्वारा औरतों की चेतना–जागरूकता पर ज़ोर दिया गया। इस उद्देश्य से कई कार्यक्रम शुरू किये गये जैसे महिला विकास कार्यक्रम (राजस्थान) 1984, चेतना जागरण कार्यक्रम 1986, महिलाओं की समानता के लिए शिक्षा या महिला सामाख्या, 1989।

1980 के दशक में दहेज विरोधी आंदोलन ने गति पकड़ ली थी जिसके कारण केंद्र सरकार ने एक आदेश के तहत् विवाह के पांच वर्षों के भीतर असामान्य परिस्थितियों में होने वाली विवाहित स्त्रियों की मृत्यु की जाँच तथा शव–परीक्षण को अनिवार्य कर दिया। इसी दशक में बलात्कार के विरोध में भी संघर्ष हुए।

राजनीति में महिलाओं की सार्थक भागीदारी पर 1990 के दशक में विशेष पहल हुई। संविधान के 73 वें व 74 वें संशोधनों द्वारा देशभर में पंचायती राज पर ज़ोर दिया गया व पंचायतीराज में महिलाओं की भागीदारी अनिवार्य मानी गई।

सार

संक्षेप में कहा जा सकता है कि आजादी के बाद भारत में महिलाओं के सामने कई तरह की चुनौतियां थीं। इनमें हिंसा और दहेज से जुड़ी हुई थी जिनके विरोध में आंदोलन हुआ तो सरकारों ने कानून बनायें और उसका प्रभाव महिलाओं के जीवन में देखने को मिला। वे शिक्षा से लेकर हर क्षेत्र में मजबूती से आगे आई।

***शोधार्थी**

संदर्भ –

1. नागौरी एस.एल., भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं का योगदान, सुरभि पब्लिकेशन्स, जयपुर, 1987।
2. पॉला बचेटा, फेमनीस्ट, काली फॉर वुमन, नयी दिल्ली, 2004।

3. प्रशाद अनिरूद्व, आरक्षण : सामाजिक न्याय एवं राजनैतिक सन्तुलन, रावत पब्लिकेशन्स, नयी दिल्ली, 1991।
4. पानिकर रजनी, भारतीय नारी प्रगति के पथ पर, नैशनल पब्लिशिंग हाऊस, नयी दिल्ली, 1970।
5. पाण्डे मृणल, परिधि पर स्त्री, राधाकृष्ण प्रकाशन, नयी दिल्ली, 1996।
6. भसीन कमला, मर्द मर्दानगी और मर्दवाद?,जागोरी, नयी दिल्ली, 2004।
7. मेरी वोल्सटनक्रफ्ट, स्त्री अधिकारों का औचित्य साधन, राजकमल प्रकाशन, नयी दिल्ली, 1999।
8. मिल जॉन स्टुअर्ट, स्त्रियों की पराधीनता, राजकमल प्रकाशन, नयी दिल्ली, 2003।